न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/176

1. कौशल सिंह आत्मज स्व0 माधो सिंह जाति राजपूत निवासी अतरालिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. स्व0 कन्हैया सिंह पुत्र स्व0 माधो सिंह जरिये कायममुकामान :–
   2/1. अजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री कन्हैया सिंह जाति राजपूत ।
   2/2. बृजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री कन्हैया सिंह जाति राजपूत ।
   2/3. सत्येन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री कन्हैया सिंह जाति राजपूत ।
   2/4. मधु कंवर पुत्री स्व0 श्री कन्हैया सिंह जाति राजपूत ।
   2/5. श्रीमती कैलाश कंवर पत्नी स्व0 कन्हैया सिंह जाति राजपूत निवासीगण अतरालिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. उमराव सिंह आत्मज स्व0 माधो सिंह जाति राजपूत निवासी अतरालिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रियाज मोहम्मद आत्मज रफीक अहमद जाति मुसलमान निवासी मोडक स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान राजय सरकार जरिय तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बी0 सी0 मालवीय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम अतरालिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खसरा नम्बर 323 की

रकबा 0.84 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 534/323 की 0.16 हैक्टर कुल 02 किता की 1.00 हैक्अर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 के शामलाती खाते में दर्ज है । उक्त भूमि में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी कम 2 व 3 का हिस्सा 1/2 एवं वादी का हिस्सा 3/8 दर्ज है तथा साथ ही वादी के हिस्सा 3/8 में ही 0.16 हैक्टर भूमि वादी के नाम औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज है । गत सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 243 की 06 बीघा 03 बिस्वा दर्ज थी जिसमें खातेदार कौशल सिंह प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी कम 2 व 3 का 1/2 हिस्सा दर्ज था । वादी एवं सलमा बेवा इसरार अहमद द्वारा प्रतिवादी कम 1 के हिस्से 1/2 में से 3/8 हिस्सा कय कर लेने से 1/8 हिस्सा प्रतिवादी कम 1 के खाते शेष रहा । तत्पश्चात् वादी एवं सलमा द्वारा अपने हिस्सा 3/8 की भूमि में से 19.97 बिस्वा यानि 1617 वर्ग मीटर भूमि कृषि से अकृषि अर्थात् औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करा लिये जाने एवं सलमा का हिस्सा भी वादी द्वारा अपने खाते दर्ज करा लिये जाने से वादग्रस्त आराजी वादपत्र की मद संख्या 1 के अनुसार बाद सेटलमेंट दर्ज हुई है । उक्त भूमि पक्षकारान के शामलाती खाते में दर्ज रहने से पक्षकारान को भूमि के विकास करने एवं लगान अदा करने में परेशानी हो रही है ।

3. अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण कम 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादपत्र की मद संख्या 01 में वर्णित आराजी जिसमें वादी के हिस्से की 534/323 की 0.16 हैक्टर भी शामिल है पर प्रतिवादीगण कम 1 से 3 वादी के हिस्से 3/8 पर मदाखलत व मजाहमत नहीं करे न ही उक्त कार्य अपने प्रतिनिधि से करावे और उक्त भूमि को बिना विभाजन करवाये रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करे, उसका कोई मुआवजा प्राप्त नहीं करे तथा वादी के हिस्से में उसके शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे । वादग्रस्त आराजी विधिवत विभाजन किया जाकर नियमानुसार खाता विभाजन किया जकर वादी के हिस्से की 3/8 भूमि जिसमें खसरा नम्बर 534/323 की 0.16 हैक्टर औद्योगिक सम्मिलित है वादी के हिस्से में व शेष भूमि खसरा नम्बर 323 की 0.84 हैक्टर में से ली जाकर वादी के पृथक खाते दर्ज की जाकर लगान भी पृथक मुकर्रर किया जावे । वादी को उनके हिस्से की आराजी पर पृथक कब्जा दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 20.05.2019 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए आंशिक रूप से डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.05.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण कम 1 से 3 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट द्वारा अपने जवाबदावे में स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी का विभाजन रिकॉर्ड के अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर किये जाने का कथन किया था जिसमें आराजी खसरा नम्बर 534/323 भी शामिल थी । पक्षकारान के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नम्बर 534/323 राष्ट्रीय राज मार्ग विस्तार परियोजना में अधिग्रहण कर लेने के कारण उस पर सभी सहखातेदार को उचित मुआवजा का विभाजन करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया । वादी रेस्पोडेन्ट उक्त खसरा नम्बर पर स्वयं का कब्जा बताकर समस्त मुआवजा प्राप्त करना चाहता है जिससे अपीलान्ट सहमत नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित

की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.05.2019 निरस्त फ़रमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई ।

7. दिनांक 30.07.19 को अपीलान्ट कम 2/2 बृजेन्द्र सिंह व अपीलान्ट कम 3 उमराव सिंह ने और रेस्पोडेन्टगण में से रेस्पोडेन्ट कम 1 रियाज मोहम्मद ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर एक लिखित राजीनाामे पेश किया । राजीनामे में यह कथन किया गया है कि अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा हो गया है । रेस्पोडेन्ट को केवल रिकॉर्ड के आधार पर मीट्स एण्ड बाउन्ड के आधार पर विवादित आराजियात का विभाजन करनें पर कोई एतराज नहीं है तथा रिकॉर्ड के आधार पर ही विवादित आराजियात जो राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त की गई उसमें मुआवजे का विभाजन भी रिकॉर्ड के आधार पर करने में दोनों पक्षकार सहमत हैं । परन्तु इस राजीनामे पर समस्त पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं हैं और न्यायालय में भी अपीला कम 2/2 एवं अपीलान्ट कम 3 और रेस्पोडेन्टगण में से रेस्पोडेन्ट कम 1 रियाज मोहम्मद उपस्थित हुए हैं शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं ।

8. इन तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा –निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित. किया जाना उचित समझते हैं कि यदि समस्त पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करना चाहे तो अधीनस्थ न्यायालय नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.05.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि समस्त पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करना चाहे तो अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में राजीनामे के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पेश किये राजीनामे की प्रति रखी जाकर असल राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जावे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा